महत्वपूर्ण/तत्काल
संख्याः 1407/मु0वि0अ0/मध्यान्ह भोजन/2006

प्रेषक,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त सहायक आयुक्त (खाद्य),** उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,** उत्तर प्रदेश।
5. **समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी,** उत्तर प्रदेश।
6.

लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2006

विषयः मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत निर्गत खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न की उठान भा0खा0नि0 के गोदामों से करके खाद्य विभाग की विपणन शाखा, राज्य आवश्यक वस्तु निगम द्वारा ब्लाक गोदामों में संग्रहीत किया जाता है, जहां से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। मेरठ संभागों में भा0खा0नि0 से खाद्यान्न उठान का कार्य स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जाता है। विगत दिनों में कतिपय जनपदों में यह शिकायत प्राप्त हुई कि भा0खा0नि0 द्वारा खराब गुणवत्ता का खाद्यान्न मध्यान्ह भोजन योजना में निर्गत करने के फलस्वरूप स्कूल के बच्चे बीमार हुए। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः भा0खा0नि0 से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नवत् कार्यवाही किया जाना उचित हागा।

1. वितरण एजेन्सी द्वारा भा0खा0नि0 से खाद्यान्न उठान करने के पूर्व खाद्यान्न की गुणवत्ता का भली–भांति परीक्षण कर लिया जाय और मानक के अनुसार खाद्यान्न पाये जाने पर ही उसकी उठान की जाए। यदि मानक के अनुरूप खाद्यान्न नहीं प्राप्त होता तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, भा0खा0नि0 के अधिकारी एवं शासन को अवगत कराया जाए।
2. वितरण एजेन्सी द्वारा खाद्यान्न की उठान करके जब ब्लाक स्थित गोदाम में संग्रहीत किया जाय, उस समय भी खाद्यान्न की गुणवत्ता की जाँच कर ली जाय। बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय योजना की भाँति त्रिस्तरीय चेकिंग के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत गोदाम में प्राप्त होने वाले खाद्यान्न के स्टाक की गुणवत्ता की जांच करके यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्यान्न अच्छी क्वालिटी का रखा गया है। खाद्यान्न जब सस्ते गल्ले के दुकानदारों को निर्गत किया जाए तो द्विस्तरीय चेकिंग में निर्गत किए जा रहे खाद्यान्न की गुणवत्ता की पुनः जाँच कर ली जाए।
3. खाद्यान्न को सस्ते गल्ले की दुकान पर पहुँचाने एवं उसके वितरण के सम्बन्ध में भी त्रिस्तरीय चेकिंग में उसकी गुणवत्ता की जांच पुनः कर ली जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि जो खाद्यान्न स्कूल के बच्चों के लिए इश्यू किया जा रहा है वह गुणवत्ता एवं मानक का है जो भा0खा0नि0 द्वारा निर्गत किया गया था।
4. ब्लाक गोदामों में मिड–डे–मील योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न की स्टैकिंग पृथक से की जाए ताकि निरीक्षण के दौरान उसकी गुणवत्ता एवं स्टाक के सत्यापन में कोई कठिनाई न होने पाए।
5. जिला पूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह गांव मं जाकर राशन की दुकानों पर मिड–डे–मील योजना के अन्तर्गत रखे गये खाद्यान्न की गुणवत्ता की समय–समय पर जांच

करते रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि जिस गुणवत्ता का खाद्यान्न गोदामों से प्राप्त हो रहा है उसी गुणवत्ता का खाद्यान्न राशन की दुकानों पर उपलब्ध है।

6. भा0खा0नि0 द्वारा मिड–डे–मील योजना में केवल ग्रेड 'ए' चावल का ही निर्गमन किया जा रहा है अतः गुणवत्ता/स्टाक के सत्यापन के समय यह सुनिश्चित किया जाय कि ब्लाक गोदाम से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को ग्रेड 'ए' चावल ही निर्गत किया जा रहा है। साथ ही साथ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर निरीक्षण/सत्यापन के समय यह अवश्य देख लिया जाय कि दुकानदार द्वारा ग्रेड 'ए' चावल ही वितरित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0
(देवेश चतुर्वेदी)
आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ह0
(देवेश चतुर्वेदी)
आयुक्त